

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर
संख्यांक - क्रमांक - जिशिअ / प्राशि / अज / मान्यता / 12-13 3587 दिनांक 17-6-2013

प्रबन्धक,

मास्टर सफल

(अंगुजी)


रानाई मार्ग अल्पर गोट अजमेर

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वाती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतीनिवेदन से में मास्टर सफल गोट अजमेर (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01.07.2012 से दिनांक 30.06.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा Ith से कक्षा Vth तक के लिए अन्तर्रिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त रवीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विरत्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता / संवधन के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपावधि 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपावधि 2) के उपवधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर बगों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैसा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के सभवधों के अनुसार प्रतिपूर्ति विद्या जाएगा। पैसी प्रात्पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एवं वृत्तक वेक वाता रखेगा।


Adhiraj Singh
Secretary
Mayo College General Council

Adhiraj Singh
Principal
Mavoor School, AJMER (Raj.)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर

- 5 सोसायटी / विद्यालय किसी कौपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरकार को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म रथान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :—
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (viii) अध्यापक रखयां को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों वा नामांकन करेगा।
- 10 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :—

विद्यालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा रथयत का द्वोत्रफल

कक्षों कम से कम संख्या

प्रधानाध्यापक - सह-कार्यालय - सह-भंडार कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

जिला शिक्षा अधिकारी'

प्रारम्भिक शिक्षा, जजमेर